

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
लेखा एवं वित्त विभाग

क्रमांक: लेखा एवं वित्त/2025/834

दिनांक : 11/06/2025

परिपत्र

विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2024-25 की आयकर विवरणी (TDS) आयकर विभाग द्वारा Assessment होकर प्राप्त हो गयी है जिसमें विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न कार्मिकों/पेंशनरों द्वारा अपने पैन नम्बर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाये जाने के कारण पैन नम्बर को In-operative श्रेणी में डालते हुए आयकर की धारा 206AA के तहत आय पर 20% की दर से टैक्स का निर्धारण कर नियोक्ता को उक्त राशि जमा करवाने का डिमांड नोटिस जारी किया है। ऐसे कार्मिकों/पेंशनरों की सूची मय राशि व ब्याज निम्नानुसार है :-

Sr. No.	PAN of Employee	Name of the Employee	TDS	Interest	Total
1	CJNPS5867D	LAXMAN SINGH 4149	109887.80	4945	114832.80
2	CHAPS3208K	J N SHARMA 4705	147592.00	6642	154234.00
3	BBSPC9147C	LAL CHAND 4296	128593.40	5787	134380.40
4	CEHPS9388Q	PADAM SINGH 4560	129804.00	5841	135645.00
5	ALPPC3413R	CHAND DEVI 4954	114813.40	5167	119980.40
6	BIVPD7087E	RAMA DEVI 4879	120132.40	5406	125538.40
7	BPRPD3835H	ANANDI DEVI 4274	132794.80	5976	138770.80
8	ALIPL3534D	NARSI LAL MEENA 9396	90266.00	4062	94328.00
9	AGXPL6988K	NAR SINGH MEENA 5299	120241.00	5411	125652.00
10	FRQPS5531G	NAVEEN SINGH 9393	72292.40	3253	75545.40
11	ADJPR4898A	MAHENDRA S RATHORE 9030	81048.00	3647	84695.00
12	DGTPS1273K	SANDEEP KR SAINI 9420	53489.40	2407	55896.40
13	BZOPP5426P	PREM VYA5	119814.40	5392	125206.40
			1420769.00	63936	1484705.00

उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके आगे अंकित राशि मय ब्याज अविलम्ब लेखा एवं वित्त प्रथम अनुभाग में चैक से जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि इस राशि पर 18% वार्षिक दर से लगने वाले ब्याज का सीमित किया जा सकें।

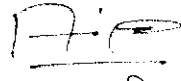
Sd/-
उप कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांक: लेखा एवं वित्त/2025/835-900

दिनांक : 11/06/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र अपने अधीन को भी सूचित करावें :-

1. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/वाणिज्य/विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक केन्द्रीय पुस्तकालय/गाँधी अध्ययन/शारीरिक शिक्षा अध्ययन/दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी, विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित छात्रावास।
6. समस्त छात्रावास अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रावास।
7. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, निजी सचिव/सचिव, कुलपति/कुलसचिव/ परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

 SL--
उप कुलसचिव 10/6/25-
(लेखा एवं वित्त)

1